न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./85/2024

1. भव्य पुत्र बीरेन्द्र
2. चिराय पुत्र बीरेन्द्र

} नाबालिगान बविलायत प्राकृतिक संरक्षक सुषमा पत्नि बीरेन्द्र माता खुद जाति जाट निवासी गोलपुरा रोड, सुभाष नगर, भरतपुर, तहसील व जिला भरतपुर (राज0)

.....प्रार्थी0

बनाम

1. राजीव शर्मा (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी भरतपुर कार्यवाहक सहायक कलक्टर भरतपुर
2. बीरेन्द्र सिहं पुत्र समुन्दर सिहं
3. धीरेन्द्र पुत्र समुन्दर सिहं

} जाति जाट निवासी ए–636, अग्रसेन स्कूल के आगे सुभाष नगर, भरतपुर

4. समुन्दर सिहं पुत्र रतन सिहं
5. मोहन सिहं पुत्र रतन सिहं

} जाति जाट निवासी पोस्ट आफिस के पीछे, नाले के पास, न्यू आदर्श नगर भरतपुर

6. बृजेन्द्र पुत्र प्रयाग
7. ओमवती वेवा रघुवीर
8. अंकित पुत्र रघुवीर
9. करिश्मा पुत्री रघुवीर
10. नीतू पुत्री रघुवीर
11. रामबिहारी पुत्र प्रयाग
12. तहसीलदार भरतपुर
13. उपपंजीयक भरतपुर

} जाति जाट निवासी दाऊ मंदिर के पास चिकसाना तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध सहायक कलक्टर भरतपुर अन्तर्गत प्रकरण मुकदमा नं0 पुराना 109/2015 हाल 36/2024

उपस्थितः–
1–श्री विजय सिहं कुन्तल, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री गोविन्द सिहं डागुर, अभिभाषक अप्रार्थी.3,4,5

निर्णय **दिनांक 19.03.2025**

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ सहायक कलक्टर भरतपुर वगै0 इस आशय का पेश किया गया, संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उक्त एक दावा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी भव्य आदि बनाम बीरेन्द्र आदि न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में विचाराधीन है। उक्त मुकदमा वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में नियत है। अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रार्थीगण की

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

माता को धमकी दी है कि दाखिल खारिज खुलवाने एवं प्रकरण को अपने हक में निर्णय कराये जाने की पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा अप्रार्थी समुन्दर सिहं को पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर भरतपुर के चैम्बर में से निकलते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में अब सायलान को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। सहायक कलक्टर भरतपुर से टिप्पणी तलब की गई। सहायक कलक्टर भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल है। उपस्थित योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि एक दावा अन्तर्गत धारा 212 राज0 काश्तकारी अधिनियम उनवानी भव्य आदि बनाम बीरेन्द्र आदि न्यायालय सहायक कलक्टर भरतपुर में विचाराधीन है। उक्त मुकदमा वास्ते बहस प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. में नियत है। अप्रार्थी सं0 4 द्वारा प्रार्थीगण की माता को धमकी दी है कि विचाराधीन प्रकरण को अपने हक में निर्णय कराये जाने की पीठासीन अधिकारी से बात हो गई है तथा अप्रार्थी समुन्दर सिहं को पीठासीन अधिकारी सहायक कलक्टर भरतपुर के चैम्बर में से निकलते हुये देखा है। ऐसी स्थिति में अब सायलान को पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। इसलिये प्रकरण को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना जरुरी है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी का कथन है कि मुन्तकिली प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। उभयपक्षकारान के मध्य दावा अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। अप्रार्थी संख्या 4 ने सायलान अथवा उनकी माता को कोई धमकी नहीं दी है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने धमकी देने एवं सहायक कलक्टर भरतपुर के चैम्बर से निकलने के जो आरोप लगाये हैं वे झूठे एवं प्रार्थी की दिमाक की उपज है। प्रार्थना पत्र प्रकरण को देरीना करने की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्षकारान के कथनों पर मनन किया। सहायक कलक्टर भरतपुर से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मद सं0 2 में जो तथ्य अंकित किये गये हैं वह पूर्णतः स्वीकार योग्य नहीं हैं। प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी के खिलाफ जो मौखिक कथन किये गये हैं उनके समर्थन में ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके कथनों को बल मिलता हो। प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र का मकसद केवल तहत न्यायालय में विचाराधीन दावा को देरीना की नियत से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाना उचित पाते है।

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाकर सहायक कलक्टर भरतपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे विवेचनानुसार प्रकरण में कार्यवाही करें। निर्णय की प्रति सहायक कलक्टर भरतपुर को प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 19.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर